

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 14/2025

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2025/109

| प्रार्थी:-                           | बनाम | अप्रार्थी:-   |
|--------------------------------------|------|---|
| सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी<br>पाली |      | 1. अहमद पुत्र हाजी जहुर मो. निवासी<br>17 घोसी कॉलोनी पाली शहर (हाल<br>प्रोपराईटर) |

“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955”  
उपस्थित :-

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :-

दिनांक:- 26/03/2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3ए, सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से जब्तसुदा सिलेण्डरों तथा एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेग्यूलेटर को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 25.02.2025 को मन प्रवर्तन अधिकारी पाली हमराह श्री जितेन्द्रसिंह आशिया प्रवर्तन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलींग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान अप्रार्थी के मकान पाली शहर में घोसी कॉलोनी पर पहुंचे। मौके पर अहमद उपस्थित मिले, जिन्होंने खुद को प्रोपराईटर होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान यासर अराफात पुत्र शाबीर खान मुंगल, निवासी 16, गरीब नवाज कॉलोनी, पाली एवं जावेद पुत्र जहुरशाह, निवासी जुम्मा मस्जिद रोड, पाली शहर की उपस्थिति में प्रतिष्ठान में जांच के दौरान 3 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.02 किग्रा) (2 एचपी कम्पनी एवं 1 इण्डेन कम्पनी) तथा एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेग्यूलेटर पाये गये। अप्रार्थी से मौके पर प्राप्त गैस सिलेण्डर से सम्बन्धित आवश्यक विधिक दस्तावेज मांगने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, न ही संतोष जनक जवाब दिया। जिस पर गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लिए जाने पर गैस सिलेण्डर का उपयोग रूकवाया जाकर मौके पर मैसर्स रुचिता गैस, पाली शहर के



*(Handwritten signature)*

अति. जिला कलेक्टर पाली

प्रतिनिधी द्वारा हैंगिंग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी-1 के अनुसार स्थिति पाई गई :-

## सारणी-1

(वजन Kg.मे)

| क्र. सं.   | नाम                | कम्पनी | सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता | भरे हुये सिलेण्डर का वजन | खाली सिलेण्डर का वजन | शुद्ध गैस का वजन | सिलेण्डर नम्बर |
|--|--------------------|--------|---|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 1  | घरेलू गैस सिलेण्डर | HPCL   | 14.200                                      | 15.800                   | 15.800               | 0.000            | 0308925        |
| 2  | घरेलू गैस सिलेण्डर | HPCL   | 14.200                                      | 30.000                   | 15.800               | 14.200           | 443117         |
| 3  | घरेलू गैस सिलेण्डर | HPCL   | 14.200                                      | 30.100                   | 15.900               | 14.200           | 584090         |
| एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेगूलेटर |                    |        |   |                          |                      |                  |                |

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी-1 में वर्णित गैस सिलेण्डर को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु राकेश पालरेचा पुत्र बाबुलाल निवासी 204 टैगोर नगर, अरिहन्त विला, पाली शहर हाल मैनेजर मैसर्स रूचिता गैस सर्विस, पाली को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) मय गैस तथा एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेगूलेटर को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का अवैध रिफिलिंग का कार्य नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेगूलेटर अप्रार्थी द्वारा उक्त जांच से एक दिवस पूर्व ही किसी प्रयोजनार्थ खरीद की गई थी। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भी कोई कार्य नहीं किया जाता है। प्रार्थी ने गलत तरीके से जैर उपरोक्त कार्यवाही कर विधिविरुद्ध ढंग से अप्रार्थी के घरेलू गैस सिलेण्डर तथा एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेगूलेटर जब्त किये हैं, जो पुनः अप्रार्थी को लौटाये जाने के आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के मकान पाली शहर में घोसी कॉलोनी पर घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग



अति. जिला कलेक्टर, पाली

की रोकथाम हेतु भ्रमण दौरान पहुंचे, जहां पर अप्रार्थी एवं मौके पर रूबरू मौतबिरान यासर अराफात पुत्र शाबीर खान मुंगल, निवासी 16, गरीब नवाज कॉलोनी, पाली एवं जावेद पुत्र जहुरशाह, निवासी जुम्मा मस्जिद रोड, पाली शहर की उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म का निरीक्षण करने पर अप्रार्थी की फर्म में 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.02 किग्रा) (2 एचपी कम्पनी एवं 1 इण्डेन कम्पनी) तथा एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेगुलेटर पाया गया, जिनका अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से भण्डारण, रिफलींग एवं बिक्री की जा रही थी। उक्त गैस सिलेण्डर के उपयोग के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पर्चा से होती है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौकाफर्द के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण, रिफलींग एवं बिक्री की जा रही थी, जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग रूकवाकर हैगिंग स्केल द्वारा तौल किया एवं गैस सिलेण्डर तथा एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेगुलेटर कब्जे में लेकर मैसर्स रुचिता गैस, पाली शहर को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के तहत की है। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उपरोक्त सारणी-1 में वर्णित घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग (भण्डारण, रिफलींग एवं बिक्री) किए जाने पर जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (2 एचपी कम्पनी एवं 1 इण्डेन कम्पनी) को मय गैस तथा एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेगुलेटर को राज्यसात (Confiscate) किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 8618/खा.ले./नीति/6A / 2020 जयपुर दिनांक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F04{23} खा.ले./नीति/6A/89 जयपुर दिनांक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों तथा एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेगुलेटर के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली  
अति. जिला कलक्टर, पाली

